<table>
<tr><th>तारीख हुक्म</th><th>गोविन्द राजपुरोहित बनाम लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, ओसिया)
सू.अ.अपील संख्या 354/2022</th><th>न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</th></tr>
<tr><td>01.12.22</td><td>अपीलार्थी गोविन्द राजपुरोहित पुत्र मोहनलाल राजपुरोहित निवासी मकान न. 18, द्वितीय बी रोड़, सरदारपुरा, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 10.09.2022 में उसके द्वारा ग्राम थोब तहसील ओसियां, जिला जोधपुर एवं ग्राम भाखरों की ढाणी, तहसील ओसियां जिला जोधपुर की विभिन्न खसरान की कृषि भूमि में नामान्तरण हेतु एक प्रार्थना पत्र प्रशासन गांवों की ओर अभियान में दिनांक 19.11.2021 को प्रस्तुत किया गया जिसके संबंध में (1) प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत नामान्तरण के प्रार्थना पत्र पर आज दिनांक तक की गयी समस्त आदेशिकाओं की सत्यापित प्रतिलिपि (2) अन्य बिन्दूओं से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, ओसियां) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. पक्ष (तहसीलदार, ओसियां) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो. पक्ष (तहसीलदार, ओसियां) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, ओसियां) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</td><td></td></tr>
</table>